**राजस्थान सरकार**
**निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं**
**2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर**

क्रमांकः–एफ.11(7)मो./राज. सम्पर्क ट्यूर/आईसीडीएस/17/ जयपुर, दिनांकः 15-6-18

1. समस्त संबंधित जिला प्रभारी अधिकारी, मुख्यालय।
2. समस्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग।
3. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।

विषयः–दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम इत्यादि के लक्ष्य एवं क्रियान्विति राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के ट्यूर मॉडूल्स में अंकित करने बाबत।
प्रसगः–निदेशालय के पूर्व आदेश 60025 दिनांक 17.04.18

विषयान्तर्गत प्रकरण में प्रशासनिक सुधार विभाग के निर्देश दिनांक 15.03.2017 एवं तदूपरान्त जारी निर्देशों के अनुसरण में अधिकारियो के दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम इत्यादि का विवरण राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के ट्यूर मॉडूल्स पर अनिवार्यतः दर्ज करने के निर्देश दिये गये है। उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने हेतु **वित्तीय वर्ष 2018–19** के लिए विगत वित्तीय वर्ष 2017–18 की भांति विभागीय आदेश संख्या 29437 दिनांक 21.04.2015 के अनुसार सभी राज्य स्तरीय, उप निदेशक तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी के भ्रमण, निरीक्षण, रात्रि विश्राम के निर्धारित वार्षिक मापदण्ड (Target) को उनके सम्मुख अंकित कर दिये गये है।

लेकिन राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के ट्यूर मॉडूल्स पर अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा माह मई, 2018 तक निर्धारित समयावधि में दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम के वित्तीय वर्ष 2018–19 के तय लक्ष्यों के अनुरूप क्रियान्विति ट्यूर मॉडूल्स पर न्यून/शुन्य अंकित की गई है जो कि गम्भीरता एवं राज्यादेश की अनदेखी व अवहेलना करने का विषय है।

अतः सभी विभागीय अधिकारियों को अवगत करवाया जाता है कि उन्हें आंवटित लक्ष्यों के अनुरूप क्रियान्विति तय समयानुसार ट्यूर मॉडूल्स पर अपने आई.डी. में आवश्यक रूप से अंकित कराना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित की व्यक्तिगत जबावदेही होगीं।

कृपया इसे सर्वोच्च्य प्राथमिकता देवें।

(रामावतार मीणा–प्रथम)
उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः–एफ.11(7)मो./राज. सम्पर्क ट्यूर/आईसीडीएस/09 जयपुर, दिनांकः 15-6-18
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. शासन उप सचिव , प्रशासनिक सुधार (टाइम्स) विभाग राजस्थान जयपुर को उनके पत्र दिनांक 10.05.18 के क्रम में।
2. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर एवं उप निदेशक, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(रामावतार मीणा–प्रथम)
उप निदेशक (प्रशिक्षण)

Destop/tour/letter Rajsthan smapark